कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी छाल, धरमजयगढ़ वन मंडल

E.Mail ID - Rangechhal123@gmail.com

क्रमांक / छाल/ 1602 दिनांक 28/10/2017

प्रति,

श्रीमान् वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

विषयः– **Diversion of forest land for non- forest purpose under forest conservation Act, 1980 for Diversion of 185.017 ha. Of forest land for chhal OC seam III 6 MTY Project of SECL in Raigarh District of chhattisgarh – Regarding.**

पंजीयन क्रमांकः– **FP/CG/MIN/16237/2015.**

संदर्भः– व.म.अ. धरमजयगढ़ का पत्र क्र./मा.चि./5529 दिनांक 22.09.2017.

निवेदन है कि संदर्भित पत्र में उल्लेखित सात बिन्दुओं मे से बिन्दु क्र. 04 :– आवेदित वन भूमि कुल रकबा 185.017 हे. वनखंड कक्ष क्र. 478 पी.एफ. ग्राम लात एवं राजस्व भूमि खसरा नं. 5/2,85/2क,87/2क में शेड्यूल – I के वन्य प्राणी हाथी,भालू,शेर,तेदुआं आदि के विचरण के संबंध में प्रतिवेदन है कि विगत 10 वर्षो से छाल खुली खदान चल रहा है एवं भूमिगत धरम खदान भी संचालित है। छाल खुली खदान एवं धरम भूमिगत खदान में कोयला उत्पादन हेतु प्रति दिन ब्लास्टिंग कार्य किया जाता है। उपरोक्त वनखंड के समीप खरसिया से धरमजयगढ़ मुख्य राजमार्ग स्थित है। जिसके कारण वाहनों का आवागमन सदैव बना रहता है। ब्लास्टिंग तथा वाहनों के आवागमन के कारण से ध्वनि एवं कंपन होने के कारण वन्य प्राणी के आवागमन एवं रहवास इस क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं है, न ही विचरण करते हुये पाया गया है।

इस संबंध में ग्राम खेदापाली एवं लात के ग्रामीणों के साथ वन्य प्राणियों के विचरण के संबंध में चर्चा किया गया। इस चर्चा के दौरान उनके द्वारा भी यह बताया गया कि विगत 10 वर्षो से उक्त क्षेत्रों में हाथी,भालू,शेर,तेदुआं आदि वन्य प्राणियों का विचरण करते नहीं देखा गया है। मौके पर ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा लिया गया।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् है।

संलग्न :– मौका पंचनामा।

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र

पृष्ठां क्र./छाल/ 1602 दिनांक 28/10/2017

प्रतिलिपिः– श्रीमान् उप वनमंडलाधिकारी महोदय धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित् है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र

प्रति,

श्रीमान् वन परिक्षेत्राधिकारी
छाल परिक्षेत्र

विषयः— **Diversion of forest land for non- forest purpose under forest conservation Act, 1980 for Diversion of 185.017 ha. Of forest land for chhal OC seam III 6 MTY Project of SECL in Raigarh District of chhattisgarh – Regarding.**

पंजीयन क्रमांकः— **FP/CG/MIN/16237/2015.**

संदर्भः— **व.म.अ. धरमजयगढ़ का पत्र क्र./मा.चि./5528 दिनांक 22.09.2017.**

निवेदन है कि संदर्भित पत्र में उल्लेखित सात बिन्दुओं मे से बिन्दु क्र. 04 :— आवेदित वन भूमि कुल रकबा 185.017 हे. वनखंड कक्ष क्र. 478 पी.एफ. ग्राम लात एवं राजस्व भूमि खसरा नं. 5/2,85/2क,87/2क में शेड्यूल — I के वन्य प्राणी हाथी,भालू,शेर,तेदुआं आदि के विचरण के संबंध में प्रतिवेदन है कि विगत 10 वर्षो से छाल खुली खदान चल रहा है एवं भूमिगत धरम खदान भी संचालित है। छाल खुली खदान एवं धरम भूमिगत खदान में कोयला उत्पादन हेतु प्रति दिन ब्लास्टिंग कार्य किया जाता है। उपरोक्त वनखंड के समीप खरसिया से धरमजयगढ़ मुख्य राजमार्ग स्थित है। जिसके कारण वाहनों का आवागमन सदैव बना रहता है। ब्लास्टिंग तथा वाहनों के आवागमन के कारण से ध्वनि एवं कंपन होने के कारण वन्य प्राणी के आवागमन एवं रहवास इस क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं है, न ही विचरण करते हुये पाया गया है।

इस संबंध में ग्राम खेदापाली एवं लात के ग्रामीणों के साथ वन्य प्राणियों के विचरण के संबंध में चर्चा किया गया। इस चर्चा के दौरान उनके द्वारा भी यह बताया गया कि विगत 10 वर्षो से उक्त क्षेत्रों में हाथी,भालू,शेर,तेदुआं आदि वन्य प्राणियों का विचरण करते नहीं देखा गया है। मौके पर ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा लिया गया।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् है।

संलग्न :— मौका पंचनामा।

(हस्ताक्षर)
सहायक परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र सहायक
छाल
छाल

/ /पंचनामा/ /

आज दिनांक 16/10/2017 दिन सोमवार को ग्राम – लात के संरक्षित वन कक्ष क. 478 कुल रकबा 176.710 हेक्टे. तथा खेदापाली के राजस्व वन खसरा कमांक 5/2, 85/2क, 87/2क कुल खसरा 03 रकबा 8.307 हे. के परिपार्श्व में निवासरत् ग्राम-वासियों के साथ चर्चा किया गया कि – क्या उपरोक्त वन क्षेत्र मे अथवा आस–पास के रिहायसी अथवा मैदान क्षेत्र में शेड्यूल 1 में दर्शाए गये वन्य प्राणी हाथी, भालू, तेंदुआ, शेर आदि वन्य प्राणी विचरण करते पाए गए है?

ग्रामीणों द्वारा यह कहा गया कि विगत दस (10) वर्षो से उपरोक्त क्षेत्र में हाथी, भालू, तेंदुआ, शेर आदि कोई वन्य प्राणी का विचरण नही पाया गया है।

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण वन विभाग के कर्मचारियों के साथ उपरोक्त प्रस्तावित वन क्षेत्र का निरीक्षण किया जिसमें शेड्यूल 1 के अन्तर्गत हाथी, भालू, तेंदुआ, शेर आदि कोई वन्य प्राणी का विचरण का प्रमाण नहीं पाया गया।

(1) सलाहुद्दीन अंसारी Salahuddin Ansari
(2) संतोष कैवर्त्य [signature]
(3) गंगाधरसिंह गौतम [signature]
(4) चन्द्रिका प्रसाद [signature]
(5) रामनाथ [illegible] [signature]
(6) सोनचंद सोनचंद
(7) मनहरण कंवर मनहरण लाल
(8) सियाराम कैवर्त्य – सियाराम कैवर्त्य
(9) रमराम [signature]
— ग्राम खेदापाली

(10) संतराम साहू [signature] – ग्राम लात
(11) भागीरथी साहू भागीरथी साहू – "
(12) अजयमाह [signature] – "
(13) फुलीराम साहू फुलीराम साहू "
(14) कृष्ण कुमार कौशिक (पंच) [signature] ग्राम चन्द्रशेखरपुर

(15) देवकुमारी वारे – [signature]

[signature] परिसर रक्षक रेडू

[signature] परिसर रक्षक बोजिया

[signature] सहायक परिक्षेत्र अधिकारी छाल

कृ.पृ.उ.

(15) चमार सिंह राठिया — चमार सिं

(16) भारत लाल राठिया — भारतलाल

(17) महेश्वर प्रसाद राठिया — महेश्वर प्रसाद राठिया

(18) देव प्रसाद राठिया — देव प्रसाद राठिया

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 में वन्यप्राणियों की अनुसूची में स्थिति

अनुसूची 1 : भाग 1

2	कृष्ण मृग	Black Buck
4	सियागोश	Caracal
5B	चिकारा	Chinkara
8A	चौसिंगा	Four Horned Antelope
8	मछली मारने वाली बिल्ली	Fishing Cat
8E	गौर	Gaur
11A	भालू शूकर	Hog Badger
12B	हाथी	Elephent
15	भेड़िया	Wolf
16B	तेंदुआ	Leopard Or Panther
17	चीता बिल्ली	Leopard Cat
24A	मूषक हिरण	Mouse Deer
28	साल, पैंगोलिन	Pangolin
29	बौना शूकर	Pigmy Hog
29A	कब्र बिज्जू	Ratel
31A		Serow — 2
31B	उद्‌बिलाव	Claw Less Otter
31C	भालू, रिंछ	Sloth Bear
35	बारहसिंगा	Swamp Deer
39	बाघ	Tiger
41	जंगली भैसा	Wild Buffalo

अनुसूची 1 : भाग 2

1C	गोह	Monitor Lizard
1D	मगर	Crocodile
2	घड़ियाल	Gharial
8	कछुआ	Turtle (सभी प्रजाति)
7	अंडे खाने वाला सांप	Indian Egg Eating Snake
14A	अजगर	Python